चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/840
दिनांक : 3.8.22

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय/राजकीय महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय : संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा जून–2022 में प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा के लिये अनुपस्थित परीक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देश।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा जून–2022 के लिये विषय विशेषज्ञों के पैनल महाविद्यालयों/संस्थानों को प्रेषित कर दिये गये है। विभिन्न महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी जानी है। उक्त परीक्षा को शीघ्रता से सम्पन्न कराये जाने के लिये पूर्व में भी निर्देश जारी किये गये हैं।

महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि कुछ विषयों में प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा के लिये भेजे गये परीक्षकों में किसी कारणवश कभी–कभी परीक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा के लिये यदि कोई परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सूची में से उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य को अर्हताधारी दूसरे परीक्षक जो उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें वह अपने स्तर से आमंत्रित करते हुए प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा 07 दिवसों में प्रत्येक दशा में सम्पन्न कराकर अंक पोर्टल पर अपलोड कर दें और परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर अंकपर्ण विश्वविद्यालय में प्राप्त करा दें। ऐसे परीक्षकों की सूची बनाकर परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लें।

यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यह अधिकार केवल राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्यों को ही प्रदान किया जाता है। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष उसकी सूचना विश्वविद्यालय को तत्काल उपलब्ध करायेंगे ताकि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य परीक्षकों के नाम प्रेषित किये जा सके।

उपर्युक्त व्यवस्था छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से परीक्षाफल घोषित करने के आशय से की गई है।

भवदीय

03.8.2022

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)

प्रतिलिपि :–

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक जी के सूचनार्थ।
4. प्रभारी (कम्प्यूटर केन्द्र) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाईट को इस आशय से कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)

D:/Office Puneet//Office Pad/693